संख्या–78/XXVII(7)02/2016

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 देहरादूनः दिनांक 02 मई, 2017

विषयः राज्य सरकार के कार्मिकों, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों, जिन्हें सातवें पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है को अनुमन्य मंहगाई भत्ते की दरों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या–1/3/2017–ई.II(बी) दिनांक 30 मार्च, 2017 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–296/XXVII(7)/02/2016 दिनांक 30.12.2016 के क्रम में राज्य सरकार के ऐसे सरकारी सेवकों को, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है तथा जिन्हें दिनांक 01 जुलाई, 2016 से 02% महंगाई भत्ता अनुमन्य है, को दिनांक 01 जनवरी, 2017 से उन्हें अनुमन्य मूल वेतन के 4% की दर से मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– संशोधित वेतन संरचना में "मूल वेतन" शब्द का अभिप्राय सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में आहरित वेतन से है किन्तु इसमें विशेष वेतन आदि जैसा अन्य प्रकार का कोई वेतन शामिल नहीं है।

3– यह मंहगाई भत्ता परिलब्धियों का एक भिन्न कारक बना रहेगा और इसे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 9(21)के तहत वेतन नहीं माना जाएगा।

4– शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42(M)97 दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर–5 एवं 07 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू होंगे।

5– उक्त कार्मिकों को पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 30 अप्रैल, 2017 तक (सेवानिवृत्त एवं 06 माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को छोड़कर) की बढ़ी हुई धनराशि उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी तथा 01 मई, 2017 से नकद भुगतान किया जाएगा, परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के अवशेष (एरियर) देयक में से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी। शेष धनराशि उन्हें भी नगद भुगतान की जायेगी।

6– उक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत मंहगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
संख्या–97/XXVII(7)02/2016
देहरादून: दिनांक 17 मई, 2017

कार्यालय–ज्ञाप

विषय: छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतनमान/ग्रेड वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते की संशोधित दरों का निर्धारण

वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–69/XXVII(7)02/2010 दिनांक 13 अप्रैल, 2017 द्वारा राज्य सरकार और स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों के उन कर्मचारियों के लिए जिन्होंने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतनमानों में बने रहने का विकल्प चुना है अथवा जिनके वेतन और भत्ते भिन्न–भिन्न कारणों से संशोधित नहीं किए गए हैं, के सम्बन्ध में दिनांक 01–07–2016 से उन्हें अनुमन्य मूल वेतन का 132% की दर से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या–1(3)2008– ई.II(बी) दिनांक 07 अप्रैल, 2017 द्वारा उपर्युक्त वर्गों के कार्मिकों के लिए स्वीकार्य महंगाई भत्ते की दर दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 132% से बढ़ाकर 136% कर दी गयी है।

3. भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 07.04.2017 के क्रम में राज्य सरकार और राज्य स्वायत्त निकायों/उपक्रमों के उन कर्मचारियों को जो छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन बैंड/ग्रेड वेतन में अपने वेतन एवं भत्ते आहरित कर रहे हैं अथवा जिनका वेतन अभी सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित नहीं किया गया है, को उन्हें स्वीकार्य मंहगाई भत्ते की दर 01.01.2017 से मौजूदा 132% से बढ़ाकर 136% किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4. शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42(M)97 दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर–5 एवं 07 में उल्लिखित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू होंगे।

5. उक्त कार्मिकों को पुनरीक्षित मंहगाई भत्ता दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 30 अप्रैल, 2017 तक। (सेवानिवृत्त एवं 06 माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को छोड़कर) की बढ़ी हुई धनराशि उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी तथा 01 मई, 2017 से नकद भुगतान किया जाएगा, परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के अवशेष (एरियर) देयक में से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी। शेष धनराशि उन्हें भी नगद भुगतान की जायेगी।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।